बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (पटना) 02–116/2025–   (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–120/स्था0, दिनांक–13.01.2026 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में **श्री चंदन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दानापुर, पटना** के विरूद्ध दाखिल–खारिज, पुर्नगठन, परिमार्जन, भूमि संबंधी स्थानीय अभिलेख के संधारण में बरती गयी लापरवाही, निर्वाचन कार्य में बरती गयी लापरवाही, आपदा प्रबंधन में बरती गयी लापरवाही, अतिक्रमण हटाने में बरती गयी लापरवाही, अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुर्नगठित करते हुए विभागीय पत्रांक–522(15) दिनांक–13.04.2026 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने अंचल कार्यालय के पत्रांक–1856 दिनांक–19.05.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, पटना/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर/श्री चंदन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दानापुर, पटना **सम्प्रति अंचल अधिकारी, मनिहारी, कटिहार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–116/2025–...........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर/ श्री चंदन कुमार, अंचल अधिकारी, मनिहारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–116/2025–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

<u>स्पीड–पोस्ट</u>

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

<u>अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।</u>

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–116/2025–.....1169.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–30/7/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/7/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Chandan kumar_CO_(Danapur_Patna).doc